

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-०१/उ०नि०-विधि-२४-०६/१९

आदेश

उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-६०४० दिनांक-२७.१२.१८ द्वारा उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के अधीनस्थ फीडर केंद्र के लिए चारित्री अभिलेखन अलग-अलग प्रपत्र में वित्तीय वर्षवार तथा प्रतिवेदक पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी एवं स्वीकरण पदाधिकारी नामित किये जाने का निदेश दिया गया है।

उक्त के अलोक में उद्योग विस्तार पदाधिकारी/अर्थ अन्वेषक तथा कनीय सांख्यिकी सहायक की चारित्री अभियुक्ति अंकण के लिए जिला उद्योग केन्द्र में पदस्थापित परियोजना प्रबंधक/कार्यकारी प्रबंधक को प्रतिवेदक पदाधिकारी; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को समीक्षी पदाधिकारी तथा संयुक्त उद्योग निदेशक/अपर उद्योग निदेशक (स्थापना प्रभारी) को स्वीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग की चारित्री अभियुक्ति अंकण के लिए परियोजना प्रबंधक/कार्यकारी प्रबंधक को प्रतिवेदक पदाधिकारी; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को समीक्षी पदाधिकारी एवं संयुक्त उद्योग निदेशक/अपर उद्योग निदेशक (स्थापना प्रभारी) को स्वीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग की चारित्री अभियुक्ति अंकण हेतु परियोजना प्रबंधक/कार्यकारी प्रबंधक को प्रतिवेदक पदाधिकारी; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को समीक्षी पदाधिकारी एवं संयुक्त उद्योग निदेशक/अपर उद्योग निदेशक (स्थापना प्रभारी) को स्वीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

आशुलिपिक संवर्ग के जो कर्मी उद्योग निदेशालय में पदस्थापित हैं उनकी चारित्री अभियुक्ति अंकण के लिए कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिवेदक; संयुक्त उद्योग निदेशक/अपर उद्योग निदेशक (स्थापना प्रभारी) समीक्षी पदाधिकारी तथा निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को, स्वीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

चारित्री पर अभियुक्ति का अंकण उपर्युक्त तीनों स्तरों से किया जाएगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापक

/पटना, दिनांक

सं०सं०-०१/उ०नि०-विधि-२४-०६/१९

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अपर उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1312

/पटना, दिनांक

06.03.19

सं०सं०-01/उ०नि०-विधि-24-06/19

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।